

रिपोर्ट परवारी हल्का/आई0एल0आर0
आवेदन पत्र को साक्ष्य में जांच की गई। जिसके अनुसार

2030 आ 01/01/2020 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसार
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदन का नाम सुरक्षित किया जाने की अनुरोध की जाती है।

17/11/2021

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक - राजस्व/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को भेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदन का नाम सुरक्षित किया जाने की अनुरोध की जाती है।

29/11/21
तहसीलदार गुढा गौड़जी

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुन्देलखण्ड (राज.)
आदेश :-

दिनांक :- 25/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसार निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संभवत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध-प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	किशोरपुरा	2075-78	339	राजीव गांधी पाठशाला शंके नगर किशोरपुरा	राजकीय पाठशाला विद्यालय शंके नगर किशोरपुरा

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

24/11/21
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (बुन्देलखण्ड)
दिनांक :- 25/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/1612-13

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

24/11/21
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (बुन्देलखण्ड)